क्रम-संख्या—66

रजि. नं. एल. डब्लू./एन. पी. 91

लाइसेन्स न. डब्लू. पी.—41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 24 मार्च, 1999

चैत्र 3, 1921 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 748/सत्रह-वि-1—1(क) 3-1999

लखनऊ, 24 मार्च, 1999

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1999 पर दिनांक 24 मार्च, 1999 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1999 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1999

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1999)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1999 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 8 जनवरी, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 4 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में, उपधारा (1–क) में, खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :—

"(घ) जौनपुर में पूर्वांचल विश्वविद्यालय के नाम से विश्वविद्यालय जिसे उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1999 के प्रारम्भ के दिनांक से 'वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर' कहा जायगा"।

नई धारा 72–ञ का बढ़ाया जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 72–झ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"72–ञ—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1999 के प्रारम्भ के दिनांक से इस अधिनियम या किसी नियम, परिनियम, अध्यादेश, परिनियत संलेख या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी दस्तावेज या कार्यवाहियों में पूर्वांचल विश्वविद्यालय के प्रति किसी निर्देश को वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के प्रति निर्देश समझा जायगा।"

पूर्वांचल विश्वविद्यालय के नाम के परिवर्तन पर संक्रमणकालीन व्यवस्था

अनुसूची का संशोधन

4—मूल अधिनियम की अनुसूची में, स्तम्भ–2 में, क्रम संख्या 12 के सामने शब्द "पूर्वांचल विश्वविद्यालय" के स्थान पर शब्द "वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

5—(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1999 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 748 (2)/XVII-V-1—1 (KA) 3-1999

Dated Lucknow, March 24, 1999

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 1999 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 11 of 1999) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 24, 1999.

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 1999

[U. P. Act No. 11 of 1999]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislative Assembly)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.

It is hereby enacted in the Fiftieth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 1999.

(2) It shall be deemed to have come into force on January 8, 1999.

2. In section 4 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1-A), *for* clause (*d*), the following clause shall be *substituted*, namely :— Amendment of section 4 of the President's Act no. 10 of 1973 as amended and re-enacted by U. P. Act no. 29 of 1974

"(*d*) a University to be known as Purvanchal University at Jaunpur, which shall, with effect from the date of commencement of the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 1999, be called "Vir Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur,".

3. *After* section 72-G of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :— Insertion of new section 72-H

"72-H. Transitory provision on change of name of the Purvanchal University — With effect from the date of commencement of the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 1999 any reference to the Purvanchal University in this Act or any rules, Statutes, Ordinances, statutory instruments, or any other law for the time being in force or in any document or proceeding shall be construed as a reference to Vir Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur."

4. In the Schedule to the principal Act, in Column 2, against serial no. 12, *for* the words "The Purvanchal University", the words "Vir Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur" shall be *substituted*. Amendment of the Schedule

5. (1) The Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Ordinance, 1999 is hereby repealed. Repeal and saving

U. P. Ordinance no. 1 of 1999

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance, referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,

Y. R. TRIPATHI,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 306 सा० (विधा०)—(2494)—1999—850 (मैक०)।